राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनोद सिंह उर्फ़ पप्पू बनाम प्रेम चन्द

272/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।	
11/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय चाकसू के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोटखावदा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3785/6345, 3786 लगायत 3795, 3799 व 3809/6346 कुल किता 13 रकबा 3.07 हैक्टे० भूमि के रेस्पोंडेंट्स दर्ज खातेदार कृषक है उन्हें अपनी उक्त कृषि जोत में आने जाने हेतु अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से 12 फीट चौड़ाई के नये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है इसलिये मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट मंगवाकर चाहा गया रास्ता उपलब्ध कराकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उप धारा-(1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अप्रार्थी/अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति अंकित की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चाकसू से रिर्पाट तलब की | तहसीलदार कोटखावदा द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उप धारा-(1) पर समायत कर निर्णय दिनांक 27/02/2017 पारित करते हुये पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 16/05/2016 में संशोधन करते हुये उभयपक्षों को वाद के निस्तारण तक चालु रास्ते में निर्माण कार्य नही किये जाने हेतु पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उनके समक्ष विचाराधीन	